किसी नए पालिटेक्निक की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न हवाई अड्डों पर विमान द्वारा भेजे जाने के लिए पड़ा माल

637. **श्री राम जेठ मलानी :**
श्री रणजीत सिंह :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1991 के अंत तक देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर विदेशों को भेजा जाने वाला बकाया माल भारी मात्रा में पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1991 में हवाई अड्डा वार पड़े हुए ऐसे माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बकाया माल को यथाशीघ्र विदेशों को भेजने को सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया को आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता की धनराशि कितनी है तथा बकाया माल के कब तक विदेशों को भेज दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 31.1.91 को स्टाक निम्नानुसार था :

दिल्ली	1760 मिट्रिक टन
बम्बई	226 मिट्रिक टन
मद्रास	254 मिट्रिक टन
कलकत्ता	80 मिट्रिक टन

(ग) और (घ) एयर इंडिया को फरवरी से मई, 1991 की अवधि में प्रति सप्ताह 100 टन की अतिरिक्त क्षमता जुटाने के लिए कहा गया है। सरकार एअर इंडिया को संभावित हानि के लिए अधिकतम सीमा तक 12 करोड़ रुपए तक की क्षतिपूर्ति करेगी।

देश में इंजीनियरी तथा पालिटेक्निक कालेजों में प्रवेश हेतु मार्ग-निर्देशन

638. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने समूचे भारत में इंजीनियरी और पालिटेक्निक कालेजों में दाखिलों में एकरूपता लाने के लिए योग्यता के आधार पर कुछ मार्गनिर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्ष में उपरोक्त संस्थानों में दाखिले इन मार्गनिर्देशों के आधार पर किए जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं। निर्धारित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाएं निम्नलिखित हैं :-

1. **इंजीनियरी कालेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए**

इन्जीनियरी में डिग्री कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता, परीक्षा में एक ही बार बैठने से भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में न्यूनतम कुल अंकों के 60 प्रतिशत अंकों सहित 10+2 विज्ञान शिक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। यह मानदंड उन दाखिलों के लिए लागू होगा जहां 10+2 विज्ञान शिक्षा की परीक्षा में उपलब्ध अंकों के आधार पर दाखिले किये जाते हैं और प्रवेश परीक्षा के आधार पर नहीं।

इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों को 12+स्तर पर भौतिकी, रसायनशास्त्र और गणित विषयों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिये। प्रवेश परीक्षा की पात्रता के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और उन सभी छात्रों को, जिन्होंने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति की जानी चाहिये। प्रवेश परीक्षा में योग्यता का रैंक ही दाखिले का आधार होना चाहिये।

2. पालीटेक्निकों में दाखिल के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम

इंजीनियरी में डिप्लोमा कार्यक्रमों में दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हता परीक्षा में एक ही बार में बैठने से विज्ञान तथा गणित में न्यूनतम कुल अंकों के 60 प्रतिशत अंकों सहित 10+परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिये। यह मानदंड वहां भी लागू होगा, जहां दाखिले 10+परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किये जाते हैं।]

इसके अतिरिक्त यह भी सुझाया गया है कि दाखिले सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय रूप से अभिशासित होने चाहिये। दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन करने का मानदंड 10+स्तर की माध्यमिक स्कूल छोड़ने की प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी विषयों में अंकों की कुल प्रतिशतता पर आधारित योग्यता का रैंक होना चाहिये अथवा यह प्रवेश परीक्षा के आधार पर होने चाहिये यदि यह परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।

3. आरक्षित वर्गों के लिए दाखिले सम्बंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा यथा निर्धारित सम्बंधित वर्गों की योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।

4. तकनीक संस्थाओं में दाखिले के लिए इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं को शैक्षिक वर्ष 1991-92 से कार्यान्वयन हेतु उपाय आरम्भ करने के लिए इन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को जारी कर दिया गया है। सम्बंधित राज्य सरकारें सम्बद्ध विश्वविद्यालयों/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों के परामर्श से इस ओर अपेक्षित कार्रवाई कर रही हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा एल०पी०जी० सिलेंडरों की बुकिंग कराने के लिए समय सीमा

639. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं द्वारा एल०पी०जी० सिलेण्डरों के बुक कराने के लिए कम से कम 21 दिन की समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एल.पी.जी. के वितरकों को एक निर्धारित अवधि के भीतर एल०पी०जी० सिलेण्डरों की सप्लाई करने के निर्देश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को सिलेण्डर सप्लाई करने की न्यूनतम अवधि क्या है; और

(घ) क्या सिलेण्डरों की विलम्ब से सप्लाई करने के संबंध में वितरकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाई की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) :(क) से (ग) रिफिल की बुकिंग और उसकी अंतिम आपूर्ति की अवधि 21 दिन से कम करके 10 दिन की कर दी गई है। एल.पी.जी. विपणन तेल कम्पनियों से एल.पी.जी. वितरकों को रिफिलों की आपूर्ति "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" आधार पर तत्परता से